



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 31

18 भाद्र 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —
9 सितम्बर 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

11-11

12-13

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर 2020

सं० 2/वन्यप्राणी-19/2020—1035(ई०)/प०व०ज०प०—पक्षियों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए विभिन्न वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। परन्तु इसके लिए एक समेकित रणनीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि कानूनी कार्रवाई के अलावे इस व्यापार में लगे हुए लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें वैकल्पिक जीविका उपलब्ध कराने तथा लोगों के बीच में भी अवैध पक्षी व्यापार के संबंध में जागरूकता फैलाने की दिशा में सार्थक पहल की जा सके। इस संबंध में रणनीति बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- | | | | |
|---|--|---|---------|
| 1 | श्री प्रभात कुमार गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार | — | अध्यक्ष |
| 2 | श्री अभय कुमार, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर | — | सदस्य |
| 3 | श्री सुरेन्द्र सिंह, निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण | — | सदस्य |
| 4 | श्री गोपाल सिंह, वन संरक्षक, पटना | — | सदस्य |
| 5 | श्री एस० चन्द्रशेखर, वन संरक्षक, गया | — | सदस्य |
| 6 | श्री अरविन्द मिश्रा, मंदार नेचर क्लब, | — | सदस्य |
| 7 | श्री समीर सिन्हा, वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया | — | सदस्य |

उक्त समिति के अध्यक्ष अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि अथवा पक्षियों के अवैध व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अपने स्तर से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में आमंत्रित करने हेतु तथा उनका सहयोग लेने हेतु अधिकृत होंगे।

समिति को निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराये। इस पर माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

1 सितम्बर 2020

सं० 3/स्था०रा०अ० (नियुक्ति)-06/2020-226(3)/रा०—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 63वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44,900-1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-9 में अंकित कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	मूल आरक्षण कोटि	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापन जिला एवं कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	223216	श्री नितेश कुमार पिता-श्री रामेश्वर सिंह ग्राम-सलेमपुर महादेवा, गृह सं०-166, (दुर्गा मंदिर), पो०-सिवान, थाना-महादेवा, जिला-सिवान पिन-841226	सिवान	29.10.1987	138	01-सामान्य	01-सामान्य	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, पटना सदर, पटना
2	175518	श्री मृत्युंजय कुमार पिता-श्री प्रमोद ठाकुर, ग्राम+पो०-दोस्तियाँ, थाना-पुरनहिया,	शिवहर	25.07.1994	148	01-सामान्य	01-सामान्य	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, फुलवारीशरीफ, पटना

		जिला-शिवहर, बिहार, पिन-843334						
3	180221	श्री चन्द्रजीत प्रकाश पिता-जयप्रकाश मेहता, ग्राम+पो0+थाना- चौसा, जिला-मधेपुरा, पिन-852213	मधेपुरा	10.02.1986	149	05- पिछड़ा वर्ग	01- सामान्य	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, डुमरा, सीतामढ़ी
4	128007	श्री प्रियवर्त कुमार पिता-श्री प्रभु नारायण पाण्डेय, ग्राम-पाण्डेय टोला, पो0-सोनवल, थाना-मलाही, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन-845425	पूर्वी चम्पारण	31.12.1988	150	01- सामान्य	01- सामान्य	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, अररिया सदर, अररिया
5	214430	श्री काशिफ नवाज पिता-श्री शहाबुद्दीन, पता- खजांची हाट, उर्दू मध्य विद्यालय के पीछे, पो0-भट्टा बाजार, थाना-सहायक खजांची, जिला-पूर्वियां, पिन-854301	पूर्वियां	16.02.1992	157	01- सामान्य	01- सामान्य	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, गया सदर, गया
6	201851	श्री भारतेन्दु पिता-श्री कृष्णा प्रसाद सिंह, ग्राम-सहनौरा, पो0-चकनवादा, थाना-एन0पी0टी0सी0, प्रखंड-पण्डारक, अनुमंडल-बाढ़, जिला-पटना, पिन-803213	पटना	30.03.1990	163	01- सामान्य	01- सामान्य	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, पूर्वियां सदर, पूर्वियां
7	208996	श्री विजय प्रकाश पिता-श्री जगत नारायण प्रसाद, पता-आदर्श विक्रमशिला, को-ओ0पी0 कॉलोनी, हनुमान नगर, कंकड़बाग, थाना-पत्रकार नगर, पटना, पिन-800020	पटना	19.12.1988	165	05- पिछड़ा वर्ग	05- पिछड़ा वर्ग	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, हाजीपुर सदर, वैशाली
8	251476	सुश्री स्नेही सोनल पिता-श्री अरुण कुमार, पता-20/238, जनता फ्लैट, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना-800020	पटना	18.11.1991	192	01- सामान्य	01- सामान्य	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, बेगूसराय सदर, बेगूसराय
9	257022	सुश्री कनुप्रिया मिश्रा पिता-श्री अरुण कुमार, पता-295KA, ग्राम-बेलबनवा, पो0+थाना- मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, पिन-845401	पूर्वी चम्पारण	14.08.1992	206	01- सामान्य	01- सामान्य	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, समस्तीपुर सदर, समस्तीपुर
10	250044	सुश्री स्मिता झा, पिता-श्री नागेन्द्र गोपाल झा, ग्राम+पो0-दुर्गागंज, प्रखंड+थाना-कदवा, जिला कटिहार, पिन-855105	कटिहार	07.10.1988	207	01- सामान्य	01- सामान्य	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, जगदीशपुर, भागलपुर
11	171450	मो0 इन्केशाफ आलम पिता-मो0 काफील अंसारी, ग्राम+पो0-बस्तवारा, थाना-सिमरी, दरभंगा, पिन-847428	दरभंगा	26.04.1993	219	04- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04- अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, नवादा सदर, नवादा

12	146417	श्री अभिषेक भारती पिता—श्री सच्चिदानंद प्रसाद, ग्राम+पो0—जमालपुर गोगरी, थाना—गोगरी, जिला—खगड़िया, पिन—851203	खगड़िया	02.01.1992	222	04— अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04— अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	राजस्व अधिकारी, कार्यालय, बाराहाट, बांका
13	189095	श्री आदित्य शंकर पिता—श्री रमा शंकर महतो, ग्राम—मंझौलिया चक्का, पो0—रसलपुर, थाना—डुमरा, सीतामढ़ी, पिन—843302	सीतामढ़ी	16.08.1992	229	04— अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04— अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, बांका सदर, बांका
14	247832	सुश्री जूली कुमारी, पिता—श्री राजेन्द्र प्रसाद, पता—चाणक्य नगर, कुम्हार, पो0—B.H कॉलोनी, जिला—पटना, पिन—800026	पटना	03.02.1988	311	04— अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04— अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, छपरा सदर, सारण
15	115453	श्री सौरव कुमार पिता—श्री हरी बल्लव रजक, ग्राम+पो0—चिलमिल, थाना—मुफसिल, बेगूसराय, पिन—851131	बेगूसराय	22.05.1992	332	02- अनुसूचित जाति	02- अनुसूचित जाति	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, दानापुर, पटना
16	249679	श्रीमती ज्योतिता रानी पति—श्री सरोज भूपेन्द्र, पिता—श्री नरेश कुमार, पता—301 "A" आर0एन0 बिल्ला अपार्टमेंट, भूतनाथ रोड, पो0—बहादुरपुर हॉउसिंग कॉलोनी, थाना—पत्रकार नगर, पटना, पिन—800026	पटना	10.10.1988	569	02- अनुसूचित जाति	02- अनुसूचित जाति	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, मुशहरी, मुजफ्फरपुर

1. (i) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिए किया जाता है।

(ii) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध अलग सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

(iii) सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्राणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे मूल रूप से संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(v) सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0—1919 दिनांक—18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(vi) सभी नियुक्त पदाधिकारियों के लिए आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0—1964, दिनांक—21.08.2005 एवं पत्रांक—768 पे0को0, दिनांक—03.07.2007 के आलोक में सभी नव नियुक्त पदाधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

3. योगदान के समय अभ्यर्थियों को अर्सेनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने—जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. वैस अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त 30 (तीस) दिनों के अन्दर अपना योगदान संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान को निश्चित रूप से समर्पित कर देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधेश्याम साह, विशेष सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 2 सितम्बर 2020

सं० 6/वि०पत्रा०-24-45/2008-1553/वा०कर-—श्री प्रमोद कुमार ग्वालिया, राज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रतिनियुक्त विभागीय सदस्य, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के चिकित्सा से लौटने तक सदस्य, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर श्री शरतचन्द्र, राज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार पटना को प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

शिक्षा विभाग

अधिसूचनाएं 21 अगस्त 2020

सं० 15/एम 1-160/2014-1362—बिहार राज्य के वैशाली जिलान्तर्गत भगवानपुर में निजी क्षेत्र में डॉ० सी०वी रमण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT) से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन मूल्यांकन/समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1741 दिनांक 31.08.2015 द्वारा इस विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक 1459 दिनांक 09.08.2017 द्वारा बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 2 (2) के तहत आशय पत्र की समयावधि को दो वर्षों के लिए अधिकतम विस्तारित किया गया है।

2. विभागीय स्तर से निर्गत आशय पत्र के आलोक में प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रदत्त अधिकार के तहत प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), SCOPE Campus, NH-12, Bhaironpur, (Near misrod) hosangabad road, Bhopal-462026 को विभागीय अधिसूचना संख्या 124 दिनांक 29.01.2018 द्वारा “डॉ० सी०वी रमण विश्वविद्यालय” के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं भगवानपुर (वैशाली) में पटना साहिब एजुकेशनल ट्रस्ट से किराएनामा किए गए भवन से दो वर्षों के लिए औपबधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 124 दिनांक 29.01.2018 में यह प्रावधानित किया गया है। दो वर्षों के उपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के धारा 5 (1) (iii) के तहत विश्वविद्यालय के लिए स्थायी भवन निर्मित नहीं किए जाने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 1741 दिनांक 31.08.2015 तथा पत्रांक 1459 दिनांक 09.08.2017 द्वारा निर्गत आशय पत्र एवं उक्त अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय स्थापना/औपबधिक संचालन हेतु दी जा रही अनुमति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

4. प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर इस विश्वविद्यालय के स्थायी संचालन हेतु बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत भूमि एवं भवन का क्रय/निर्माण करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के कंडिका 06 के आलोक में बिहार राज्यान्तर्गत वैशाली जिले में निजी क्षेत्र में डॉ० सी०वी० रमण विश्वविद्यालय, वैशाली (भगवानपुर) की स्थायी रूप से स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

5. बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत यह विश्वविद्यालय डॉ० सी०वी रमण विश्वविद्यालय, वैशाली (भगवानपुर) के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर

(सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

6. बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 8 के आलोक में यह विश्वविद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा। यह विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए संचालित किया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

21 अगस्त 2020

सं० 15/एम 1-33/2014-1363—बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत पटना में निजी क्षेत्र में अमिटी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय "Ritnand Balved Education Foundation" से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन मूल्यांकन/समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1022 दिनांक 19.05.17 द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है तदोपरांत प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 1506 दिनांक 18.08.2017 द्वारा प्रायोजक निकाय "Ritnand Balved Education Foundation" को अमिटी विश्वविद्यालय, पटना के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं सूर्या नेशबिल्ड लिमिटेड से रूपसपुर, बेली रोड, पटना में लीज पर लिए गए भवन से दो वर्षों के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

2. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के निमित्त स्थायी भवन/परिसर निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण विगत वर्ष 2019 में आशय पत्र की अवधि विस्तारित करते हुए विश्वविद्यालय संचालित करने का अनुरोध किया गया। प्रायोजक निकाय के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरांत विभागीय पत्रांक 1120 दिनांक 20.05.2019 द्वारा आशय पत्र की अवधि को दिनांक 18.05.2020 तक के लिए विस्तारित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 2257 दिनांक 04.10.2019 द्वारा दिनांक 18.05.2020 तक उक्त लीज पर लिये गये भवन से अमिटी विश्वविद्यालय, पटना को औपबंधिक संचालन की अवधि को विस्तारित किया गया है।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 2257 दिनांक 04.10.2019 की कंडिका 4 में निम्नवत् प्रावधान है—

“ 4 आशय पत्र की विस्तारित अवधि (दिनांक 19.05.2017 से अधिकतम एक वर्ष) में प्रायोजक निकाय द्वारा बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 5 (III) के अनुसार भवन निर्मित नहीं किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय संचालन की यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा प्रायोजक निकाय को दिया गया आशय पत्र वापस लिया गया माना जाएगा। ”

4. प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित अवधि में विश्वविद्यालय संचालन हेतु स्थायी भवन का निर्माण बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 5(iii) के मानको के अनुसार अब तक नहीं किया गया है तथा बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधान के अनुसार पुनः 01 वर्ष के लिए आशय पत्र की अवधि विस्तारित करते हुए लीज पर लिये गये भवन से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रायोजक निकाय द्वारा इस अवधि में स्थायी भवन निर्माण कर लेने संबंधी Notary से समक्ष दिये गये शपथ पत्र की प्रति विभाग में उपलब्ध करायी गयी है।

5. सम्यक् समीक्षोपरान्त बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत अमिटी विश्वविद्यालय, पटना को दिनांक 18.05.2021 तक स्थायी भवन/परिसर निर्माण हेतु आशय पत्र की अवधि को विस्तारित करते हुए सूर्या नेशबिल्ड लिमिटेड से रूपसपुर, बेली रोड, पटना में लीज पर लिए गए भवन से अमिटी विश्वविद्यालय, पटना के दिनांक 18.05.2021 तक पूर्णतः औपबंधिक संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

6. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार औपबंधिक संचालन हेतु अंतिम रूप से इस अवधि का विस्तार किया जा रहा है। इसके पश्चात स्थायी भवन/भूमि की उपलब्धता नहीं होने पर विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा विभागीय स्तर से निर्गत आशय पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा।

7. बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 7 के तहत यह विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर होगी। उसे चल एवं अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

8. बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 8 के आलोक में यह विश्वविद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा। यह विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए संचालित किया जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

**गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)**

अधिसूचनाएं

29 जून 2020

सं० 1/सी०1-10/2018 गृ०आ०-4473—श्री प्राणतोष कुमार दास, भा०पु०से० (2004), को भारतीय पुलिस सेवा की प्रवर कोटि वेतनमान वेतन स्तर-13 (रु० 1,23,100 – 2,15,900/-) एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि वेतनमान वेतन स्तर-13A (रु० 1,31,100 – 2,16,600/-) में उनके ठीक कनीय श्री शंकर झा, भा०पु०से० (2004) को इन कोटियों में क्रमशः प्रदत्त प्रोन्नतियों की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

17 अगस्त 2020

सं० 1/सी०1-31/2014 गृ०आ०-5202—श्री राजविन्दर सिंह भट्टी, भा०पु०से० (1990) को अपर पुलिस महानिदेशक कोटि से पुलिस महानिदेशक कोटि, वेतन स्तर-16 (रु० 2,05,400-2,24,400/-), में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

29 जून 2020

सं० 1/एल०1-10-15/2019-गृ०आ०-4478—श्री निर्मल कुमार आजाद, भा०पु०से० (1994), अपर पुलिस महानिदेशक, एस०सी०आर०बी० एवं आधुनिकीकरण, बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा के आधार पर अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-12 एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2020 से 11.03.2020 तक कुल 23 दिनों के रूपांतरित अवकाश (23 x 2 = 46 अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

29 जून 2020

सं० 1/एल०1-10-01/2020-गृ०आ०-4479—श्री राशिद जमाँ, भा०पु०से० (2010), समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 25.07.2019 से 23.08.2019 तक कुल 30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

17 अगस्त 2020

सं० 1/पी०1-02/2013 खण्ड-II गृ०आ०-5206—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री आर०एस० भट्टी, भा०पु०से० (1990),	अपर पुलिस महानिदेशक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना।	पुलिस महानिदेशक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना।
2.	श्रीमती आर० मलार विज्जी, भा०पु०से० (1995),	अपर पुलिस महानिदेशक, (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना।
3.	श्री एम०आर० नायक, भा०पु०से० (1998),	पुलिस महानिरीक्षक, (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना।
4.	श्रीमती मीनू कुमारी, भा०पु०से० (2010),	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया	पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद।

5.	श्रीमती धूरत सायली सावलाराम, भा0पु0से0 (2010),	पुलिस अधीक्षक, अररिया	पुलिस अधीक्षक, सारण।
6.	श्री दीपक बर्णवाल, भा0पु0से0 (2010),	पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद	पुलिस अधीक्षक (अ0), विशेष शाखा, बिहार, पटना।
7.	श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा0पु0से0 (2010),	पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद।
8.	श्री प्रमोद कुमार मंडल, भा0पु0से0 (2010),	समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-3, बोधगया	पुलिस अधीक्षक, जमुई।
9.	श्री हरकिशोर राय, भा0पु0से0 (2011),	पुलिस अधीक्षक, सारण	पुलिस अधीक्षक, भोजपुर।
10.	डॉ0 इनामुल हक मंगनू, भा0पु0से0 (2012),	पुलिस अधीक्षक, जमुई	सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।
11.	श्री राजीव रंजन-2, भा0पु0से0 (2012),	पुलिस अधीक्षक, बगहा	पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना।
12.	श्री सुशील कुमार, भा0पु0से0 (2012),	पुलिस अधीक्षक, भोजपुर	समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-3, बोधगया।
13.	श्री गौरव मंगला, भा0पु0से0 (2013),	पुलिस अधीक्षक, वैशाली	पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना।
14.	श्री मनोष, भा0पु0से0 (2013),	पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद	पुलिस अधीक्षक, वैशाली।
15.	श्री हृदय कान्त, भा0पु0से0 (2015),	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम	पुलिस अधीक्षक, अररिया (अपने ही वेतनमान में)।
16.	श्री अमितेश कुमार, भा0पु0से0 (2016),	सहायक पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) मुजफ्फरपुर	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया (अपने ही वेतनमान में)।
17.	श्री किरण कुमार गोरख जाधव, भा0पु0से0 (2016),	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना	पुलिस अधीक्षक, बगहा (अपने ही वेतनमान में)।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

24 अगस्त 2020

सं0 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ0आ0-5325—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री प्राणतोष कुमार दास, भा0पु0से0 (2004),	पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई (नव प्रोन्नत पुलिस उप-महानिरीक्षक)।	पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह- उप निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।
2.	श्रीमती बीणा कुमारी, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत)	अपर पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना।	पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।
3.	मो0 सैफुर्हमान, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत)	पुलिस उपाधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना।	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना।

4.	श्री राजेश कुमार, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत)	अपर पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना।	पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना।
5.	श्री पंकज कुमार, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत)	अपर पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद।	पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, मुजफ्फरपुर।
6.	श्री अशोक कुमार प्रसाद, भा0पु0से0 (नवप्रोन्नत)	अपर पुलिस अधीक्षक, महानिदेशक (प्रशिक्षण) कार्यालय, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त – अपर पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।	पुलिस अधीक्षक, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

25 अगस्त 2020

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ०आ०-5334—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री हर किशोर राय, भा0पु0से0 (2011)	पुलिस अधीक्षक, भोजपुर।	अतिरिक्त प्रभार – समादेष्टा, अश्वारोही सैन्य पुलिस, आरा।
2.	श्री शौर्य सुमन, भा0पु0से0 (2017)	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिस्थितमान), रोहतास।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जयनगर।
3.	श्री प्रमोद कुमार यादव, भा0पु0से0 (2017)	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिस्थितमान), पूर्णियां।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी।
4.	श्री सागर कुमार, भा0पु0से0 (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिस्थितमान), गया।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल।
5.	श्री पुरण कुमार झा, भा0पु0से0 (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिस्थितमान), मुजफ्फरपुर।	सहायक पुलिस अधीक्षक, नगर, भागलपुर।
6.	श्री सैयद इमरान मसूद, भा0पु0से0 (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिस्थितमान), दरभंगा।	सहायक पुलिस अधीक्षक, (पश्चिमी) मुजफ्फरपुर।
7.	श्री संदीप सिंह, भा0पु0से0 (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिस्थितमान), सारण।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना।
8.	श्री अरविन्द प्रताप सिंह, भा0पु0से0 (2018)	सहायक पुलिस अधीक्षक (परिस्थितमान), मोतिहारी।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

8 सितम्बर 2020

सं० 7/सी०सी०ए०-1024/2001(खंड-II)गृ०आ०-5661—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) के अध्याय-2 की धारा-12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा-12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-3876, दिनांक 09.06.2020 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् दिनांक 01.10.2020 से 31.12.2020 (एक अक्टूबर दो हजार बीस से एकतीस दिसम्बर दो हजार बीस) तक प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

7 सितम्बर 2020

सं० एल/एच०जी०-14-11/2018-4419—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-2401, दिनांक 18.06.2020 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में स्व० निर्मल कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बांका को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत दिनांक 08.05.2018 से 06.07.2018 तक 60 (साठ) दिनों का एवं दिनांक 02.03.2019 से 24.03.2019 तक 23 (तेईस) दिनों का कुल 83 दिनों को पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश (166 दिनों के अर्द्धवेतन पर देय छूट्टी का पूर्ण वेतन में रूपांतरण) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
विमलेश कुमार झा, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1055—I, Ram Naresh Singh alias Naresh Singh S/o Late Ayodhya Singh Village Safapur Dist.-Begusarai (Bihar) declare that Ram Naresh Singh and Naresh Singh are Name of one and same person that is my self vide affidavit no. 5362 dated 27/02/2020 shown before executive Magistrate, Begusarai.

Ram Naresh Singh.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक (अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 बि0पु0ह0-20-02/2016गृ0आ0-5662

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प
8 सितम्बर 2020

विषय:—बिहार पुलिस हस्तक (Bihar Police Manual) के पुनर्गठन हेतु गठित समिति को अवधि विस्तार दिये जाने के संबंध में।

गृह विभाग के संकल्प संख्या-7692 दिनांक 16.09.2019 द्वारा बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के पुनरीक्षण एवं वर्तमान में प्रचलित कानून के अनुरूप नये पुलिस हस्तक के गठन हेतु अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है। समिति को अपना कार्य गठन की तिथि से छः माह की अवधि में पूर्ण कर लेना था, किन्तु मॉडल पुलिस हस्तक का अध्यायवार **Synopsis** तैयार करते हुए विभिन्न उप-समितियों द्वारा समर्पित अध्यायवार प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा कर पुलिस हस्तक के पुनर्गठन को अंतिम रूप दिये जाने में और अधिक समय लगने की संभावना के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3007 दिनांक-24.03.2020 द्वारा पुलिस हस्तक पुनर्गठन समिति का कार्यकाल छः माह के लिए विस्तारित किया गया।

मार्च, 2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव को रोकने के उपायों के तहत बैठकों, कार्यालय उपस्थिति एवं अन्य कई कार्यवाहियों में अड़चन आयी है। इसका प्रभाव समिति के कार्यों पर भी पड़ा है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार पुलिस हस्तक पुनर्गठन समिति का कार्यकाल पुनः छः माह की अवधि के लिए विस्तारित किया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित की जाय।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-12/2015-5733

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
2 सितम्बर 2020

श्री विनोद कुमार सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, शेखपुरा के विरुद्ध उनके मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान कारा में मोबाईल फोन, मोबाईल चार्जर एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी तथा विचाराधीन बंदी दानी यादव द्वारा मोबाईल से रंगदारी माँगे जाने की घटना में बरती गई लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2112 दिनांक 06.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी जिसके संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 1292/स्था0 दिनांक 23.09.2019 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप संख्या-01 को अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-02 को प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं

अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 8906 दिनांक 16.10.2019 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक 1942/कारा दिनांक 18.12.2019 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कारा में बरामद प्रतिबंधित सामग्रियों के लिए कारा की दीवार की उँचाई मात्र 20 फीट होने, अधीनस्थ कर्मियों द्वारा कर्तव्य का ठीक से निर्वहन नहीं करने, कारा के निकट निजी मकान होने, जिलाधिकारी द्वारा बिल्डिंग बाइलॉज (Building bye Laws) का अनुपालन नहीं कराने, कारा में कर्मियों के कई पद रिक्त होने आदि को प्रतिबंधित सामग्री के प्रवेश के लिए जिम्मेवार बताया गया है एवं स्वयं को इसके लिए निर्दोष बताया गया है। कुख्यात बंदी दानी यादव को उच्च कक्ष में नहीं रखकर सामान्य वार्ड संख्या-06 में रखे जाने के आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहना है कि मंडल कारा, आरा में उनके कार्यकाल में सुरक्षा कक्ष का निर्माण हुआ ही नहीं था। ऐसे में इस आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया जाना तथ्यों पर आधारित नहीं है।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-796 (i), (ii) के अनुसार कारा के सम्पूर्ण संचालन एवं प्रबंधन के लिए काराधीक्षक जिम्मेवार होते हैं। ऐसे में अधीनस्थ कर्मियों द्वारा कर्तव्य का ठीक से निर्वहन नहीं करने का तर्क इनके बचाव का आधार नहीं हो सकता। इसके लिए इनके द्वारा पूर्व में किसी कर्मि के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा विभाग से नहीं की गई। कारा में कक्षपालों की कमी की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा संविदा पर कक्षपाल/होमगार्ड की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में कक्षपालों के पदों की रिक्ति कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों के प्रवेश का युक्तिसंगत कारण नहीं हो सकता। कारा के अंदर 24 घंटे कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रहती है, जिनके माध्यम से कारा के हर बंदी पर निगरानी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त कारा के अंदरूनी और बाहरी भाग पर नजर रखने हेतु कारा में सुरक्षा पोस्ट भी निर्मित है।

बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-870 (iii) के अनुसार कारा में प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश रोकने की जिम्मेवारी काराधीक्षक की है, जिसे निभाने में आरोपित पदाधिकारी पूर्णतः विफल रहे हैं। बंदी दानी यादव, पे0-द्वारिका यादव अत्यंत शातिर एवं कुख्यात अपराधी था। उसके द्वारा कारा में रहते हुए एक व्यवसायी से रंगदारी माँगने के कारण उसे मुजफ्फरपुर जेल स्थानांतरित किया गया था। कारा संसीमन के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग करते हुए रंगदारी माँगने की घटना से स्पष्ट है कि बंदी दानी यादव को सतत निगरानी में रखा जाना आवश्यक था।

मंडल कारा, आरा में सुरक्षा कक्ष नहीं होने संबंधी आरोपित पदाधिकारी के दावे के संबंध में अधीक्षक, मंडल कारा, आरा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2015 में घटना के समय मंडल कारा, आरा में सुरक्षा कक्ष उपलब्ध था। अतः इस बिन्दु पर उनका जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :-

“बची हुई सेवा अवधि के लिए संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में दो (02) वेतनवृद्धियों के समतुल्य राशि घटाकर वेतन अवनति का दंड।

6. उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1833 दिनांक 03.03.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 916 दिनांक 07.08.2020 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विनोद कुमार सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, शेखपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

“बची हुई सेवा अवधि के लिए संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में दो (02) वेतनवृद्धियों के समतुल्य राशि घटाकर वेतन अवनति का दंड।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>